

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.18(01)गृह-1/2017 पार्ट-4 (20735)

जयपुर, दिनांक:- हस्ताक्षरित दिनांक

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62 (01) तथा 63 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.10.2022 से राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुलिस जबावदेही समिति के गठन किये जाने की घोषणा की गयी। उक्त समिति के अध्यक्ष पद हेतु श्री एच. आर. कुडी का मनोनयन किया गया, जिनके कार्यकाल में इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.10.2024 द्वारा एक माह की दिनांक 13.11.2024 तक, आज्ञा दिनांक 06.11.2024 द्वारा एक माह की दिनांक 13.12.2024 तक, आज्ञा दिनांक 11.12.2024 द्वारा एक माह की दिनांक 13.01.2025 तक, आज्ञा दिनांक 15.01.2025 द्वारा एक माह की दिनांक 13.02.2025 तक एवं आज्ञा दिनांक 13.02.2025 द्वारा एक माह की दिनांक 13.03.2025 तक की गई अभिवृद्धि में अग्रिम आदेशों तक की अभिवृद्धि एतद्वारा की जाती है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राकेश राजोरिया)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा० राज्यमंत्री, गृह विभाग
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पुलिस जबावदेही समिति, राजस्थान जयपुर।
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, सदस्य सचिव।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

